

कार्यालय-प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर

//आपत्ति निराकरण की सूचना//

क्रमांक. ~~क~~/दो-12-11/2015 (परीक्षा सेल/भर्ती नियुक्ति समिति, रायपुर) रायपुर दिनांक 07/10/2026

इस जिला स्थापना में हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के 03 पदों तथा सहायक ग्रेड-3 के 78 पदों की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 24.07.2026 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके संबंध में आवेदक श्री अनिल कुमार पिता संतोष कुमार आदित्य के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/आपत्ति दिनांक 31.08.2026 के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है-

1- स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किये जाने पर आपत्ति करते हुए सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आहूत किये जाने का निवेदन किया गया है।

2- कोविड-19 काल के दौरान पूरे देश में एक ही मूल्यांकन प्रणाली के तहत परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने से एवं मूल्यांकन पद्धति भिन्न-भिन्न होने से सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आहूत किये जाने का निवेदन किया गया है।

3- भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023 के नियम 6, 8 एवं 16 का उल्लंघन होकर छ.ग. के अन्य जिला स्थापना बिलासपुर, कांकेर, कोरबा के भर्ती प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया है:-

निराकरण - जिला स्थापना रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023 के नियम 16 (2) के अनुपालन में विज्ञापन के प्रारूप की प्रति कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक-862/दो-11-12/2015 दिनांक-20 फरवरी, 2026 के द्वारा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय की ओर प्रेषित की गई थी, तदुपरांत माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 12203/D.E./III-18-27/2026 Bilaspur dated 15.07.2026 के अनुसार इस जिला स्थापना में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के

[Handwritten signature]

3 पदों एवं सहायक ग्रेड 3 के 78 पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023 के नियम 16 (3) के तहत जिला स्थापना रायपुर को अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त के पश्चात माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 12255/D.E./III-18-27/2026 Bilaspur dated 16.07.2026 के द्वारा विज्ञापन जारी किये जाने एवं आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि बाबत जानकारी चाहे जाने पर जिला स्थापना रायपुर के द्वारा विज्ञापन जारी किये जाने की तिथि तथा आवेदन पत्रों के प्राप्ति की अंतिम तिथि की सूचना कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक-2792/दो-11-12/2015 दिनांक-22 जुलाई, 2026 के माध्यम से माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय की ओर प्रेषित की गई थी। इस प्रकार माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय की अनुमति उपरान्त ही जिला स्थापना रायपुर के द्वारा नियमानुसार सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छ.ग. द्वारा जारी सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन की कंडिका-''नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया'' में निम्नानुसार निर्देश है कि ''हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 एवं सहायक ग्रेड-3 के आवेदित पदों के लिए दो चरणों में परीक्षा आयोजित की जावेगी। वर्गवार आवेदित पद की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आवेदित पद के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर अनंतिम पात्र सूची तैयार की जाकर उक्त सूची जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।''

विज्ञापन में वर्णित उपरोक्त चयन प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव चयन के किसी भी स्तर पर होने की कोई संभावना नहीं है बल्कि अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में आवेदित अभ्यर्थियों में से उच्च गुणवत्ता के अभ्यर्थियों के चयन हेतु उक्त प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वर्तमान में सहायक ग्रेड 3 के 78 पद एवं स्टेनोग्राफर हिन्दी के 3 पद कुल 81 पदों के विरुद्ध लगभग 210 गुना

K. J. J. J.

17043 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिस कारण उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार प्राप्त आवेदनों को स्नातक में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु शार्ट लिस्ट किया जाना है।

इस जिला स्थापना कार्यालय द्वारा विज्ञापित पदों के भर्ती संबंध में पृथक से कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा स्नातक की परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक/प्रतिशत (Cut off Marks) निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023 के नियमों के अनुसार की जा रही है। इस कारण से आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **अरविंद कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सिविल अपील संख्या 8257-8259 वर्ष 2026, निर्णय दिनांक 24.07.2026, 2026 INSC 741) एवं बी. तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य, 2024 INSC 847** के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने से आपत्तिकर्ता को इनका लाभ प्राप्त नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त जहां तक कोरोना काल में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों को अधिक अंक पाने के संबंध में संबंधित आपत्तिकर्ता द्वारा की गई आपत्ति का प्रश्न है, तत्संबंध में उपरोक्त आपत्ति मात्र आशंका पर आधारित होना दर्शित होता है, जिसके आधार पर इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत नहीं होता है।

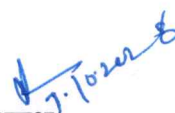
आपत्ति आवेदन की कंडिका 12 एवं 13 के अनुसार आपत्तिकर्ता श्री अनिल कुमार ने उपरोक्त आधारों पर अभ्यावेदन माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाना और उक्त अभ्यावेदन वर्तमान में लंबित होना बताया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में इस आपत्ति आवेदन को माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अभ्यावेदन के

Handwritten signature

संदर्भ में पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही की जावेगी । अतः उपरोक्त आपत्ति निरस्त की जाती है। तदनुसार उपरोक्त आपत्ति आवेदन निराकृत।

अतः आपत्तिकर्ता को सूचित किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार दावा आपत्ति निराकरण की सूचना कार्यालय के वेबसाईट में अपलोड की गई है ।

रायपुर दिनांक 07.10.2026


अध्यक्ष
भर्ती एवं नियुक्ति समिति
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर